

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2018-19 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 15.05.2018 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करे।

विजया कुमार
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) 16/3/18

प्रतिलिपि:

1. Shri Tapan Kumar Sen, माननीय संसद सदस्य 29, Ferozeshah Road, New Delhi.:- सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, Kolkata संभाग को सूचनार्थ।
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबन्धित अभिभावक को सूचनार्थ।